अंचल कार्यालय, महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–54/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4 (H) के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
04/6/2024	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जांच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा–पोखरिया थाना संख्या'–16 खाता संख्या–75 दाग संख्या–87 एवं 88 दोनो दागों में कुल रकवा–02 बीघा 01 कट्ठा 15 धूर भूमि तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक, महेशपुर के द्वारा अनाबादी खातान्तर्गत प्रतिवेदित किया गया है जबकि प्रश्नगत दाग की भूमि विगत सर्वे खतियान में रैयती जमाबंदी संख्या–75/7 अंतर्गत किस्म्–बसौढी कहकर खतियानी रैयत जदुनंदन ओझा के नाम से दर्ज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि मौजा–पोखरिया के अनाबादी खाता संख्या–75 के अंतर्गत नहीं है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा वर्णित दाग की भूमि के विरूद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4 (H) के तहत् परिचालित कार्यवाही को स्थगित करने की अनुशंसा की गई है। अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक महेशपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार एवं अनुशंसा के आलोक में मौजा–पोखरिया थाना संख्या–16 खाता संख्या–75 दाग संख्या–87 एवं 88 दोनों दागों में कुल रकवा–02 बीघा 01 कट्ठा 15 धूर भूमि के विरूद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4 (H) के तहत् परिचालित राजस्व विविध वाद संख्या–54/16–17 को संस्थित/बन्द किया जाता है। (ह०) 4/6/24 अंचल अधिकारी महेशपुर (ह०) 4/6/24 अंचल अधिकारी महेशपुर	

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINHA
Date: 2024.07.01 16:54:05 +05:30
Location: 192.168.0.103

Scanned with CamScanner